न्यायालयः– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– तुषार बिश्नोई, आर.जे.एस.

विविध दीवानी प्रकरण संख्या :– 16/2026
सीआईएस (Civil misc. connected (41)/16/2026):– 16/2026

1– सुभाष पुत्र श्री साहबराम आयु 44 वर्ष निवासी वार्ड नंबर–7, चक 3 आरडब्लयूडी रामपुरा उर्फ रामसरा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ।
2– रामस्वरूप पुत्र श्री साहबराम उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर–7, चक 3 आरडब्लयूडी रामपुरा उर्फ रामसरा, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला दंडनायक, हनुमानगढ।
2– अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ।
3– मै0 निर्मल सिंह कॉन्ट्रैक्टर, मल्लेकां तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया संहिता

प्रतिनिधित्व :–
1. श्री अनिल सिडाना विद्वान अधिवक्ता – वास्ते प्रार्थीगण।
2. श्री भंवरलाल गौड़ विद्वान अधिवक्ता– वास्ते अप्रार्थी संख्या–2
3. अप्रार्थी संख्या–1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है, कोई उपस्थित नहीं।

आदेश दिनांक :– 29.05.2026

1. प्रार्थी सुभाष वगैरह की ओर से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र विरुद्ध राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर वगैरह के खिलाफ दिनांक 13.05.2026 को प्रस्तुत किया गया था, अप्रार्थी संख्या–2 के द्वारा प्रार्थनापत्र का जवाब पेश किया जा चुका है।

2. बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई।

3. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण की तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या–150/131 प०न0 223/346 (84) कि0न0 10/1/.089 हैक्टेयर, कि0न0 12/202 हैक्टेयर, कि0न0 13/.253 हैक्टेयर, कि०न० 16 से 19/1.012 हैक्टेयर, कि0न0 23/.051 हैक्टेयर, कि0न0 24/.215 हैक्टेयर, कि0न0 25/.253 हैक्टेयर, प०न0 225/346 (82) कि0न0 25/1/.063 हैक्टेयर प०न0 226/347 (89) कि0न0 1, 2, 3/.759 हैक्टेयर, कि0न0 8 से 13/1.518 हैक्टेयर, कि0न0 18 से 20/.759 हैक्टेयर, कि0न0 21/2/228 हैक्टेयर, कि0न0 22/2/228 हैक्टेयर, कि0न0 23/2/.228 हैक्टेयर, कुल तादादी 5.617 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। डिजिटल हस्ताक्षरित

जमाबंदी संलग्न प्रार्थनापत्र है। जमाबंदी में वर्णित महिन्द्र पत्नी साहबराम का दिनाँक 06.04.2026 को स्वर्गवास हो चुका है। डिजिटल हस्ताक्षरित मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न प्रार्थनापत्र है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों की सहमति के बिना चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.डी. प०न0 223/346 (84) के कि0न0 24, 25 में पत्थर लाईन को छोड़कर 12 फुट चौड़ी व 2 बीघा लम्बी सड़क का निर्माण किया हुआ है। अब अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सहमति के बिना एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना रामपुरा नीमल सड़क (हरियाणा सीमा) तक के नवीनीकरण का कार्य कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 2 आर.डब्ल्यूडी. प०न० 223/346 (84) के किला नं0 24, 25 में दक्षिणी तरफ 8 फुट व उत्तरी तरफ 5 फुट, कुल तादादी 25 फुट चौड़ी व 2 बीघा लम्बी कृषि भूमि में सड़क का नवीनीकरण कर निर्माण करना चाहते हैं। प्रार्थीगण ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पूर्व में चल रही सड़क को छोड़कर अन्य निर्माण करने एंव प्रार्थीगण की कृषि भूमि में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं नवीनीकरण के आधार पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण करने एवं प्रार्थीगण के उपयोग, उपभोग में हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहें :—

(क)—कि चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यु.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या—150/131 प०न0 223/346 (84) के किला नं0 24, 25 में कोई रास्ता स्वीकृत नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की कृषि भूमि में सड़क का निर्माण करने से पूर्व ना तो कृषि भूमि को अवाप्त किया गया और ना ही अवाप्ति की कार्यवाही की गई, बल्कि अप्रार्थीगण ने मनमाने तौर पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के किला नं0 24, 25 में 12 फुट चौड़ी व 330 फुट लम्बी सड़क का निर्माण कर दिया।

(ख)— कि विधि का यह प्रावधान है कि किसी भी काश्तकार की कृषि भूमि में सड़क का निर्माण किये जाने से पूर्व खातेदार कृषक की सहमति प्राप्त किया जाना अथवा सड़क निर्माण किये जाने से पूर्व खातेदार कृषक की भूमि को अवाप्त कर मुआवजा दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन अप्रार्थीगण ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना न करते हुए पूर्व में 12 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण कर लिया एवं अब प्रार्थीगण की 25 फुट चौड़ी सड़क मय अर्थवर्क का निर्माण करने पर उतारू हैं, जिसकी कानूनन अनुमति प्रदान नही की जा सकती।

(ग)—कि प्रार्थीगण लघु कृषक हैं, अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं0 24 व 25 में मय अर्थवर्क 25 फुट चौड़ी व 2 बीघा लम्बी कृषि भूमि पर सड़क का निर्माण करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण की अमूल्य कृषि भूमि सड़क निर्माण में चली जावेगी, जिससे प्रार्थीगण अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जावेंगे।

(घ)—कि प्रार्थीगण गाँव के भोले एवं अनपढ़ व्यक्ति हैं। अप्रार्थीगण का यह विधिक उत्तरदायित्व बनता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में 25 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किये

जाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था लेकिन अप्रार्थीगण जानबूझकर प्रार्थीगण को क्षति पहुँचाने पर अमादा हैं। अगर अप्रार्थीगण अपने इस कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अत्यधिक मानसिक वेदना व अपरिमेय क्षति होगी।

(ड़)–कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यु.डी. पत्थर नम्बर 223/346 (84) के किला नं0 10, 11, 19, व 23 में पूर्व में रावतसर माईनर का निर्माण किया हुआ है जो मौका पर चालू है। नहरी विभाग द्वारा मुरब्बा नं0 84 के किला नं0 21 से 25 में चल रही पत्थर लाईन पर कोई पुल का निर्माण किया हुआ नही है बल्कि यह पुल मुरब्बा नं0 4 के किला नं0 3 में दक्षिणी तरफ निर्मित है।

(च)–कि अप्रार्थीगण का यह विधिक उत्तरदायित्व है कि चक नम्बर 3 आर. डब्ल्यू.डी. प०न0 222/347 (3) के किला नं0 1 से 5 व प०न0 223/347 (4) के किला नं0 1 व 2 में से होकर किला नं0 3 में बने पुल को क्रोस कर प0न0 223/347 (4) के किला नं0 4 व 6 में रास्ता स्वीकृत कर चक 2 आर.डब्ल्यु.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 159/146 के प0न0 224/347 (87) के कि0न0 1 व 10 में स्वीकृत रास्ता को सड़क से जोड़ देवें। पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा में यह विधिक स्थिति स्पष्ट की हुई है लेकिन अप्रार्थीगण जानबूझकर विधिक प्रावधानों की पालना न कर स्वीकृतशुदा रास्ता के मौजूद होते हुए प्रार्थीगण की कृषि भूमि को अवाप्त किये बिना एवं मुआवजा राशी की अदायगी किये बिना गलत रूप से सड़क का निर्माण करने पर अमादा हैं।

(छ)–कि अप्रार्थीगण द्वारा अभिकथित सड़क का निर्माण किये जाने से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि उपयोग, उपभोग व काश्त से वंचित हो जावेंगे एवं यह क्षति सदैव बनी रहेगी। विधि का यह प्रावधान है कि प्रार्थीगण की कृषिभूमि को अवाप्त किये बिना सड़क का निर्माण नही किया जा सकता।

आज से 10 दिवस पूर्व अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, योजना का नाम बजट घोषणा वर्ष 2025–26, कार्य का नाम–रामपुरा नीमला सड़क (हरियाणा सीमा) तक के नवीनीकरण का कार्य लम्बाई–1.52 किलोमीटर, कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 16.10.2026 व कार्य पूर्ण करने की दिनांक 15.05.2026 को बोर्ड लगाकर प्रार्थीगण को यह धमकी दी कि वे यथाशीघ्र प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यु.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 150/131 प०न0 223/346 (84) के किला नं0 24, 25 में 25 फुट चौड़ी व 330 फुट लम्बी अर्थात 2 बीघा लम्बी सड़क मय अर्थवर्क का निर्माण करेंगे। प्रार्थीगण ने इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की तो प्रार्थीगण को यह ज्ञान हुआ कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं0 24, 25 में कोई सड़क स्वीकृत नही है और ना ही सड़क का निर्माण किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण की कोई कृषि भूमि अवाप्त की गई है और ना ही प्रार्थीगण को मुआवजा की राशि अदा की गई है। प्रार्थीगण ने आज से 3 दिवस पूर्व अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर जाकर यह निवेदन किया कि वे प्रार्थीगण की कृषि भूमि के किला नं0 24 व 25 में सड़क मय अर्थवर्क का निर्माण करने न करें लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के निवेदन को

मानने से कतई इन्कार हो गये। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यु.डी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 150 / 131 प०न0 223 / 346 (84) के किला नं0 24, 25 में 25 फुट चौड़ी व 330 फुट लम्बी अर्थात 2 बीघा लम्बी सड़क मय अर्थवर्क का निर्माण करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अंत में प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण तहसील टिब्बी के अधीनस्थ चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यु. डी. जमाबंदी सम्वत् 2075–78 खाता संख्या– 150 / 131 प०न0 223 / 346 (84) के किला नं0 24, 25 में 25 फुट चौड़ी व 330 फुट लम्बी अर्थात 2 बीघा लम्बी सड़क मय अर्थवर्क का निर्माण कृषि भूमि को अवाप्त किये बिना करने एवं प्रार्थीगण को मुआवजा अदा किये बिना निर्माण करने से निषिद्ध रहे एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग व धारण में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहें।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–2 ने दौराने बहस जाहिर किया कि चरण संख्या–3 में प्रार्थीगण द्वारा अंकित कथनों से जेरकार प्रार्थनापत्र की मुख्य विवादित बिन्दू की तथ्यात्मक और कानूनी उपचार से सम्बन्धित तथ्यों की वास्तविक स्थिति जोकि आगे की चरण संख्या में अंकित तथ्यों के लिये न्यायोचित न्यायिक स्थिति तक पहुँचने में सहायक साबित होते हैं। इस स्थिति में अंकित कथनों पर टिप्पणी ना करते हुवे निवेदित है कि प्रश्नगत सड़क काफी कदीमी अर्से से निर्मित होकर चल रही है। जैसा कि स्वंय प्रार्थीगण ने कथन दर्ज किये हैं कि ''यह कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वजों की सहमति के बिना चक नम्बर 2 आर.डब्ल्यू.डी. की प0न0 223 / 346 (84) के किला नं0 24, 25 में पत्थरलाईन को छोड़कर 12 फुट चौड़ी व 2 बीघा लम्बी सड़क का निर्माण किया हुआ है।'' इस प्रकार उक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि तथाकथित सड़क काफी किदमी अर्से से बनी हुई है। प्रार्थीगण के उक्त कथन कि ''पूर्वजों की सहमति के बिना'' इन कथनों से स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त सड़क के निर्माण स्वीकृति को अपनी मौन स्वीकृति को क्रियान्वित करते हुवे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रश्नगत सड़क की चौड़ाई में कोई परिवर्तन नही किया जा रहा है और ना ही अंकित कथन के ''कृषि भूमि में सड़क का नवीनीकरण कर निर्माण करना चाहते हैं। जबकि विभाग अप्रार्थीगण द्वारा आमजन की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुवे आम आदमी के लिये यातायात को सुविधाजनक एवं आरामदायक बनाने की गर्ज से केवलमात्र पूर्व से चली आ रही प्रश्नगत सड़क का केवलमात्र उसी बनी हुई सड़क पर उसी पूर्व के नाप (चौड़ाई व लम्बाई) में नवीनीकरण का कार्य किया जाना सरकार द्वारा स्वीकृत है जिसे बतौर अप्रार्थीगण विभाग क्रियान्वित कर रहा है, नाकि प्रार्थीगण द्वारा वर्णित कथनों के विनिर्माण का कार्य किया जाना है। अदालतहाजा से निवेदित है कि जिस स्थिति में पूर्व से प्रश्नगत सड़क निर्मित होकर चली आ रही है, उस पर अब केवल नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। नाकि विनिर्माण का कार्य जबकि

Renewable कार्य आम जनहित के लिये परिवहन सुविधाओं को अधिक सहुलियत प्रदान किये जाने को मध्यनजर रखते हुवे उक्त Renewable कार्य किया जाना है।

जिस तरह से तथ्यों का विवरण करते हुवे प्रार्थीगण ने अपनी चरण संख्या ''ड़'' में अंकित किय हैं वो कथन कतई स्वीकार नही हैं और यह निवेदित है कि प्रश्नगत उठाये गये बिन्दू से भिन्न तथ्यों का अंकन है जोकि Irrelevant एवं महत्त्वहीन व सारहीन कानूनी रूप से प्रश्नगत प्रकरण के लिए बलहीन कथन हैं। जिस प्रकार से प्रपोजल के रूप में उपचार प्राप्त करने हेतु तथ्य संजोये हैं जोकि जेरकार प्रकरण की विषयवस्तु के अन्तर्गत कानून रूप से विधिक रूप से विवेचित किये जाने वाले तथ्यों की श्रेणी के तथ्य नही बनते हैं अपितु काबिल इखराजी के हैं।

प्रार्थी द्वारा दर्ज किये गये कथन असत्य एवं मनघड़ंत और सच्चाई से हटकर दर्ज किये गये कथन, चूंकि सड़क का निर्माण स्वामित्वधारक एवं स्वामित्वधीन मालिक के कब्जाधीन भूमि में से होकर ही भूमि पर सड़क बनती है और यह भी निवेदित है कि सड़क मार्ग से भूमि की कदर बनती है और भूमि की मौका स्थिति में परिवर्तन होकर बाजार भाव में वृद्धि होती है।

प्रश्नगत सड़क पर केवलमात्र पूर्व में चली आ रही निर्मित सड़क पर केवल मात्र Renewable कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थीगण जानबूझकर आमजन हित में परिवहन सुविधाओं को सुधार हेतु Renewable कार्य में बाधा डालने की गर्ज से उक्त दायर किया गया प्रकरण मात्र है।

सत्यता यह है कि उक्त प्रकरण में विधि द्वारा निर्धारित तीनों विधिक तत्व मुझ अप्रार्थीगण के हक में एक साथ मेड़–आऊट होते हैं। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला के रूप में मुझ अप्रार्थीगण के हक में एकसाथ मेड़आऊट होते हैं।

चूंकि प्रथम दृष्टया मामला के रूप में अप्रार्थीगण का प्रकरण बखूबी रूप से प्राईमा फेसीया बनता है, अप्रार्थीगण आम जनहित को मध्यनजर रखते हुवे प्रश्नगत सड़क जोकि पूर्व किदमी अर्से से निर्मित होकर चली आ रही है, उसी सड़क पर उसी माप से बिना किसी चौड़ाई अथवा किसी अर्थ वर्क के किये बिना केवलमात्र विधि समत् विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नगत सड़क का नवीनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है और उक्त प्रस्तावित कार्य को ही अप्रार्थीगण विभाग को क्रियान्वित करना है जोकि आमजन हित का कार्य है जोकि राज्य सरकार द्वारा जनहित में तय की गई योजना का एक भाग है।

प्रश्नगत सड़क जो कि किसी व्यक्ति विशेष की सड़क ना होकर आम सार्वजनिक जन–जन की सुविधाओ को मध्यनजर रख कर व्यक्ति विशेष के लाभ हानि को आम जन की लाभ हानि से तुलना करते हुवे राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से जन हित के कार्य करवाये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत आम जनता की सहुलियत को मध्यनजर रखते हुवे ही उक्त प्रश्नगत सड़क को Renewable किया जा रहा है। अगर उक्त कार्य में किसी प्रकार से बाधा पैदा

होती है, तो निशचय ही आम जन को अपूर्णीय क्षति पहुँचेगी। चूंकि अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के किसी प्रकार से कोई Manufacture (वि–निर्माण) का कार्य नही करने जा रहा है, अपितु पूर्व निर्मित सड़क पर ही उसी मांप में Renewable कार्य को क्रियान्वित किया जाना है। अंत में जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण काबिल निरस्तनीय है, जिसे निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी संख्या–1 व 3 को जारीशुदा नोटिस की पोस्ट ऑफिस ट्रैकिंग रिपोर्ट जरिये अधिवक्ता पेश हुई थी, अप्रार्थी संख्या– 1 व 3 के स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 25.05.2026 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. बहस प्रार्थनापत्र उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिंदु पर विचार किया जाना हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामला**
2. **सुविधा का संतुलन**
3. **अपूरणीय क्षति**

–: प्रथम दृष्ट्या मामला :–

प्रार्थीगण की ओर से चक 2 आरडब्लयू–डी पत्थर नंबर–223/346(84) किला नंबर–24,25 में पत्थर लाईन को छोडकर 12 फुट चौडी व 2 बीघा लम्बी सड़क का निर्माण किया जाना वर्णित किया है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के द्वारा उसकी बिना सहमति व बिना विधिक प्रकिया अपनाये हरियाणा सीमा तक उक्त सड़क के नवीनीकरण का कार्य उक्त भूमि के दक्षिण तरफ 8 फुट व उत्तरी तरफ 5 फुट, कुल तादादी 25 फुट चौड़ी व 2 बीघा लम्बी कृषि भूमि में नवीनीकरण का कार्य किया जाना उल्लेखित किया है।

इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या–2 के जवाब के मुताबिक तथाकथित सड़क कदीमी अर्से से बनी होना और वर्तमान में विवादित स्थल पर अवस्थित होना स्वीकार किया गया है। मुताबिक जवाब प्रार्थनापत्र प्रश्नतगत सड़क की चौडाई में अप्रार्थीगण द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और ना ही वे कृषिभूमि में इस सड़क का माप बढ़ाकर नवीनीकरण का कार्य करना बता रहे हैं। मुताबिक जवाब अप्रार्थीगण ने आम जन की सुविधाओं के दृष्टिगत पूर्व से चल रही प्रश्नगत सड़क को उसी नाप से अर्थात् पूर्व की लम्बाई–चौड़ाई के अनुसार ही उसका नवीनीकरण किया जाना उल्लेखित किया है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण ने प्रश्नगत सड़क की पूर्व की लम्बाई व चौड़ाई स्वीकार करते हुए उसी सड़क पर नवीनीकरण का कार्य करना बताया है। अप्रार्थीगण ने विनिर्माण (नया निर्माण) नहीं किये जाने का उल्लेखित किया है। अप्रार्थी संख्या–2 ने यह स्पष्ट किया है कि सड़क की चौड़ाई व लम्बाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाकर केवल उसकी मरम्मत या नवीनीकरण ही किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब पक्षकार के मध्य सडक की चौड़ाई व लम्बाई को लेकर किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं है, तो न्यायालय प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्ट्या मामला इसी स्तर पर

बनना पाता है।

–: सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु :–

7. उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर मौजूद तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार यदि सड़क का नवीनीकरण अर्थात् उसकी मरम्मत की जाती है तो इससे ना केवल प्रार्थीगण बल्कि आम जन को भी सुविधा होगी।

जहां तक प्रार्थी का यह उज्र है कि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रश्नगत सड़क को 25 फुट चौडा व 330 फुट लम्बा बनाया जा रहा है तो इस संबंध में इस स्तर पर किसी प्रकार की कोई साक्ष्य सामग्री विद्यमान नहीं है। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से भी सड़क की चौड़ाई नहीं बढाया जाना स्पष्ट किया है।

प्रश्नगत सड़क को उभय पक्षकारों के द्वारा स्वीकार उसी भौतिक स्थिति में किया गया है जिस भौतिक स्थिति में आज वो विद्यमान है। प्रार्थीगण के अभिवचनों के अनुसार उसे भी 12 फुट व 2 बीघा लम्बी सड़क से किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते हैं।

–: आदेश :–

8. ''फलतः प्रार्थीगण सुभाष वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी विरूद्ध राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर वगैरह स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि चक नंबर–2 आरडब्लयूडी पत्थर नंबर–223/346(84) के किला नंबर–24,25 में पत्थर लाईन को छोडकर 12 फुट चौड़ी व 2 बीघा लम्बी सड़क की लम्बाई–चौडाई को ना ही बढ़ायेंगे व ना ही घटायेंगे। साथ ही अप्रार्थीगण यदि उक्त प्रश्नगत सड़क पर किसी प्रकार का नवीनीकरण का कार्य कर रहे हैं तो वे यह कार्य करने हेतु स्वतंत्र है। यह आदेश फैसले के अंतिम निस्तारण तक प्रभावी रहेगा।

एसडी/–
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

9. आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर व हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

एसडी/–
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

जांचा और सत्यापित।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.05 10:45:49 IST